MR. CHAIRMAN: You have got some chit. Please look into it and answer.

SHRI SHIVRAJ PATIL: That is different.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, 1986 और 1987 के प्राफिट एंण्ड लास के बारे में बिना आडिट किए हुए मंत्री नहीं कहेंगे यह ठीक बात है। लेकिन ट्रेंड तो कह हो सकते है कि पहले से हालत अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है। इसमें तो आडिट की जरूरत नहीं है ताकि हम लोग जान सकें कि हम लोग अच्छी दिशा में जा रहे हैं या खराब दिशा में चल रहे हैं।

दूसरा सवाल यह है कि आर्डर की क्या पोजीशन है? पिछले तीन वर्षों में कितने आर्डर मिले और कितनों को ऐक्जीक्यूट किया गया? इनको ऐक्जीक्यूट करने में इस कंपनी का फैल्योर है या अन्य कारण है? इन बातों का आप कृपया स्पष्टीकरण कीजिए।

श्री शिवराज पाटिल: श्रीमन्, मैंने अभी बताया कि 1986-87 की पोजीशन पहले से कुछ अच्छी है, ऐसा कहने की पोजीशन में मैं नहीं हूं। उसका कारण भी मैंने पहले बताया दो रिग्ज हमने बनाने की कोशिश की जो जैकअपारिग्ज कहे जाते हैं, उनकी टैक्नालाजी बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। इसके लिए हमने जापान के साथ कंपीट, किया और प्राइसेज बहुत लो कोट की उसके लिए फिक्स प्राइस कांट्रेक्ट है, उसमें लिक्विडेटिड डेमेजिज क्लाज भी हमने लगाई है डिले के लिए। इसलिए ओ०एन०जी०सी० कहना दुरूस्त है कि उससे हम प्राफिट कमाएं क्योंकि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग को हम प्रोफिट कमाने की दृष्टि से कहें तो ये उनका कहना ठीक है, लेकिन एम०डी० एल० का दूसरा दृष्टिकोण है। (व्यवधान) यह बात अगर आप समझें तो हम उसके अंदर लूजर नहीं हैं। हमें बाहर फारेन एक्सचेंज भी नहीं भेजना है, बाहर के लोगों को काम नहीं दे रहे हैं और टैक्नालाजी भी हमारी अपनी है।

तीसरी चीज यह हुई है कि यहां हम डेरिक बार्ज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है और वह बनने के बाद हमारे लासेस के बढ़ने की उम्मीद है। वह बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इसके ऊपर डिसीजन लेना जरूरी है। इन चीजों को देखने के बाद हम अच्छी तरह बता सकते हैं कि यह काम किस तरह से चालू रखना जरूरी है। जहां तक शिप्स की आर्डर पोजीशन का सवाल है नेवी की तरफ से हमको आर्डर्स मिले हैं और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से भी हमारे मिनिस्टिर साहब के इन्टरवेंशन के बाद तथा गवर्नमेन्ट के इंटरवेंशन के बाद हमको चार प्लेटफार्म बनाने के आर्डर मिले हैं। मगर अभी भी हमारी कैपेसिटी ज्यादा प्लेटफार्म बनाने की है। अभी हम 6 प्लेटफार्म और बना सकते हैं। पूरे आर्डर्स अगर हमें प्लेटफार्म बनाने के मिले तो हम अपने लासेस बहुत कम कर सकते हैं और हमारा लास कुछ न हो ऐसी स्थिति आ सकती है। आर्डर्स लेने के बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं और उसके कुछ कोई समझौत निकालने के बाद एम० डी० एल० की आर्थिक पोजीशन इस क्षेत्र में भी और आयल प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी बन सकेगी।

*123. [*The Questioners (Shri Virendra Verma and Shri J. P. Goyal) were absent for answer vide col. 37-38 infra*].

Proposal for taking over of a bank

*124. SHRI JERLIE E. TARIANG: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to take over any bank in India;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the guidelines for taking over of the bank?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

SHRI JERLIE E. TARIANG:. Sir, I would like to know whether there is a change in the guidelines for taking over of banks since 1980 when some banks were taken over? If no, is the Government satisfied with the guidelines, are those guidelines which were relevant in 1980, relevant today also? Lastly, is the Government fully satisfied with the working of the private banks?

MR. CHAIRMAN: I think I should answer this question because it was I who took over banks in 1980.

SHRI JANARDHAN POOJARI: The question is not clear whether by taking over the hon Member means that it is nationalisation or merger or amalgamation. If he is referring to merger or amalgamation, there are specific provisions in the Banking Regulation Act under section 36(a), (e)...

MR. CHAIRMAN: He is only asking about nationalisation. If you reply to other points, supplementaries will be asked on those points.

SHRI JANARDHAN POOJARI: So far as nationalisation is concerned, there are no specific guidelines but nationalisation is done through legislation passed in the Parliament.

MR. CHAIRMAN: Mr. Tariang, I do not think you have another supplementary. (*Interruptions*). When the answer is in the negative, what supplementaries can be asked?

Next Question.

*125. [*The questioners (Shri Sharad Yadav and Shri Satya Prakash Malaviya) were absent for answer, vide col. 38-39 infra*].

Ceiling of the family income of the borrower under DRI

*126. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ceiling of family income of the borrower under the DRI scheme has been revised and if so, what is the present ceiling, rate of interest and target fixed under the scheme;

(b) what are the recommendations of the Task Force appointed by the Government of India in April, 1983 for the purpose; and

(c) what is the eligibility criteria of borrowers for assistance under this scheme and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) A Statement is laid on the able of hte House.

Statement

(a) and (c) The ceiling on the family income for eligibility under Differential Rate of Interest (DRI) Scheme has been revised from Rs. 2,000/- per annum to Rs. 6,400/- per annum for rural areas and from Rs. 3,000/- per annum to Rs. 7,200/- per annum for other areas. There is no change in the rate of interest and the target of lending which remains unaltered at 4% per annum and 1 per cent of the total advances outstanding as at the end of the previous year respectively. Persons satisfying the above income criteria, orphanages, women's home and in